भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

हरियाणा HARYANA

A 034967

पट्टानामा म्यादी 35 साल
मालियती 10000/- रूपये सालाना स्टाम्प 1200/- रूपये
1000+100+100=1200
स्टाम्प नं. 285 दिनांक 29.5.2007
आई डी मिनोचा स्टाम्प वैण्डर, रोहतक ।

हम सैनी हाई स्कूल रोहतक बजरिये श्री निर्दोष सैनी सचिव सैनी एजूकेशन सोसायटी रजि. रोहतक बरूये प्रस्ताव नं. 4 तिथि 27.5.2007 पासकर्ता सोसायटी मजकूर

फरीक अव्वल

व सैनी गर्ल्ज बी.एड. कालेज रोहतक बजरिये श्री सतपाल सिंह सैनी खजान्ची कालेज मजकूर बरूये प्रस्ताव नं. 2 तिथि 20.5.2007 पास कर्ता सैनी गर्ल्ज बी.एड. कालेज गवर्निंग बॉडी रोहतक फरीक दोयम के हैं जो कि स्वस्थ चित और स्थिर बुद्धि से प्रतिज्ञा करते और लिख देते हैं इस बात पर कि सैनी हाई स्कूल को सैनी एजूकेशन सोसायटी रजि. रोहतक चला रही है और भूमि रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा पक्का जिसकी सीमायें इस प्रकार है:-

पूर्व	मकान दीगरान
पश्चिम	सड़क सैनी हाई स्कूल
उत्तर	जायदाद दीगरान
दक्षिण	मकान दीगरान

वाक्या मिनजुमला खसरा नम्बरान 7909, 7910, 7911, 7912 मौजा रोहतक मलकियत मकबूजा फरीक अव्वल बरूये बयनामा नम्बर 212/1 तिथि 15.

15.5.07 Saini High School ... Saini
Leased out ... Saini Girls B.Ed College

2

प्रलेख न: 2247 दिनाँक 29/05/2007

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	LEASE
तहसील/सब तहसील	रोहतक
गांव/शहर	रोहतक

धन सबंधी विवरण	
राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 10,000.00 रुपये	स्टाम्प डयूटी की राशि 1,200.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: रामधारी

यह प्रलेख आज दिनॉक 29/05/2007 दिन मंगलवार समय 2-3 बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सैनी हाइ स्कूल रोहतक पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी रोहतक द्वारा पॅजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
रोहतक

श्री सैनी हाई स्कूल रोहतक thru निदेश सैनी सचिव(Thru)

उपरोक्त प्रथम पक्ष व श्री/श्रीमती/कुमारी सतपाल सिंह द्वितीय पक्ष हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी कृष्ण नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी रोहतक व श्री/श्रीमती/कुमारी महेन्द्र सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी राम किशन निवासी चुन्नी पुरा रोहतक ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 29/05/2007

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
रोहतक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA A 638645

3.1946 महकमा सब रजिस्टरार साहब रोहतक जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है और खेल का मैदान बना हुआ है जिसका नक्शा लफ है बिला भार है जिसे पट्टा पर देने का फरीक अव्वल को पूरा अधिकार प्राप्त है अब फरीक अव्वल ने जायदाद मजकूर बामय बिल्डिंग व ग्राऊन्ड के मुबलिग 10000/- रूपये सालाना के हिसाब से तिथि 1.6.2007 से तिथि 31.5.2042 तक अरसा 35 साल के लिये फरीक दोयम को पट्टा पर दे दी है कब्जा मौका पर दे दिया है और इकरार यह हुआ है कि:-

1. यह कि दौराने म्याद पट्टेदारी में फरीक दोयम बिल्डिंग मजकूर में अपना कालेज चलायेगा और बी.एड. की कक्षायें चलायेगा । फरीक अव्वल को इसमें कोई उजर व एतराज न होगा ।
2. यह कि फरीक दोयम जर पट्टा मुबलिग 10000/- रूपये प्रति वर्ष मई में पेशगी फरीक अव्वल को अदा करता रहेगा रसीद अदायगी लेता रहेगा बिना रसीद के अदायगी मान्य नहीं होगी ।
3. यह कि दौराने म्याद पट्टेदारी में बिल्डिंग मजकूर का बिल पानी व बिजली, हाऊस टैक्स आदि की अदायगी की जिम्मेवारी फरीक दोयम की होगी। जो वह समय समय पर अदा करता रहेगा ।
4. यह कि खेल का मैदान जायदाद मजकूर में जो है वह फरीकैन के कॉमन रहेंगे ।
5. यह कि फरीक दोयम जायदाद मजकूर में फरीक अव्वल की लिखित ईजाजत के बिना कोई तरमीम व तामीर किसी भी प्रकार की नहीं कर सकेगा फरीक दोयम जायदाद मजकूर को साफ सुथरा रखेगा सफेदी वगैरा करवायेगा ओर मुरम्मत आदि कराने की जिम्मेवारी भी फरीक दोयम की होगी जो वह अपने खर्च पर करेगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA A 638646

6. यह कि अगर फरीक दोयम समय पर जर पट्टा अदा नहीं करेगा तो फरीक अव्वल जर पट्टा मय सूद सरकारी फरीक दोयम से बजरिये अदालत वसूल कर सकेगा उस सूरत में मुकदमे की हरजे व खर्चे की सारी जिम्मेवारी फरीक दोयम की होगी लेकिन जर पट्टा कैन्सिल नहीं होगा ।
7. यह कि बाद गुजरने म्याद पट्टेदारी अगर फरीक दोयम जायदाद मजकूर को आगे पट्टे पर रखना चाहेगा तो वह फरीक अव्वल की सहमति से आगे पट्टा पर रख सकेगा लेकिन इसके लिये फरीकैन के दरम्यान नया पट्टा नामा लिखा जायेगा ।
8. यह कि जायदाद मजकूर में जो ग्राऊन्ड है उसके रख रखाव की सारी जिम्मेवारी फरीक दोयम की होगी । फरीक दोयम उसे साफ सुथरा रखेगा ।
9. यह कि इस पट्टा नामा की पाबन्दी वारसान फरीकैन पर भी होगी ।

इस तरह यह पट्टा नामा मियादी लिख दिया है जो सुन व समझ कर ठीक मान कर अपने हस्ताक्षर कर दिये कि सनद रहे । तिथि 29.5.07

तद्नुसार 8 ज्येष्ठ 1929 शाका मुकाम रोहतक द. न. 659

सैनी हाई स्कूल
बजरिये सचिव
सैनी एजूकेशन सोसायटी रजि. रोहतक

सैनी गर्ल्ज बी.एड. कालेज
फरीक दोयम

Ram Dhari
Document Writer
ROHTAK

साक्षी :- कुलदीप s/o लाल जी मकुलपुर रोहतक

साक्षी :- महेन्द्र सिंह s/o श्री रामनाथ जुन्दीपुर रोहतक

285 Saran High School
29/5

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
2247	2007-2008	1

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

प्रथम पक्ष
निर्दोष सैनी सचिव

द्वितीय पक्ष
[illegible] सिंह

संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी,
रोहतक

गवाह 1:- कृष्ण [illegible] गवाह 2:- महेन्द्र सिंह

प्रमाण-पत्र

[illegible] जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 2,247 आज दिनाँक 29/05/2007 को बही न: 1 जिल्द न: 771 के पृष्ठ न: 59 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 7,799 के पृष्ठ सख्या 7 से 9 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है।

दिनाँक 29/05/2007

संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी,
रोहतक